

THINK IAS

JOIN SAMYAK

Samyak

An Institute For Civil Services

DAILY

CURRENT नामा

18 सितंबर 2024

📞 9875170111


📍 SAMYAK IAS, NEAR RIDDHI-SIDDHI, JAIPUR

कला और संस्कृति

1. 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस क्यों मनाया जाता है - इंडियन एक्सप्रेस

संदर्भ >>


12 सितम्बर को सारागढ़ी के युद्ध की 127वीं वर्षगांठ होती है, जिसे वैश्विक सैन्य इतिहास में सबसे बेहतरीन युद्धों में से एक माना जाता है।



भूगोल

2. रापा नुई द्वीप/ ईस्टर द्वीप - द हिंदू

- **विवरण:** दक्षिण-पूर्व प्रशांत महासागर में स्थित, यह द्वीप तीन विलुप्त ज्वालामुखियों पोइके, रानो काऊ और तेरेवका द्वारा निर्मित है और यह चिली का एक क्षेत्र है और साथ ही ओशिनिया के पोलिनेशिया त्रिभुज का हिस्सा भी है।
- **दर्जा:** रापा नुई राष्ट्रीय उद्यान के भीतर संरक्षित, जो 1995 में घोषित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
- **मोड़:** रापा नुई द्वीप में पाई जाने वाली स्मारक मूर्तियाँ
- **जनसंख्या:** दुनिया के सबसे दूरस्थ बसे हुए द्वीपों में से एक, जिसकी निकटतम भूमि 2,000 किलोमीटर से अधिक दूर है।



3. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने 'एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस' का अनावरण किया - द हिंदू

संदर्भ >>

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (आईएनसीओआईएस) ने हाल ही में भारतीय ईईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) के एक 'एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस' के विकास की घोषणा की है, जो समुद्री मौसम संबंधी (सौर और पवन) और जल विज्ञान संबंधी (लहर, ज्वार, धाराएँ, महासागर तापीय और लवणता प्रवणता) ऊर्जा रूपों को शामिल करते हुए महासागर ऊर्जा संसाधनों की विशाल क्षमता को प्रदर्शित करता है।

'एकीकृत महासागर ऊर्जा एटलस' >>

- **विवरण:** समुद्री मौसम विज्ञान (सौर और पवन) और जल विज्ञान (लहर, ज्वार, धाराएँ, महासागरीय तापीय और लवणता प्रवणता) ऊर्जा रूपों को शामिल करते हुए महासागर ऊर्जा संसाधनों की विशाल क्षमता को प्रदर्शित करता है।
- **विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान:** ऊर्जा उत्पादन की उच्च क्षमता वाले क्षेत्र।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS)

स्थापना: — 1999 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत एक स्वायत्त निकाय और पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ESSO) की एक इकाई के रूप में।

अधिकार: — समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदाय को व्यापक महासागर जानकारी और सलाहकार सेवाएँ प्रदान करना। यह निरंतर महासागर अवलोकन और चल रहे व्यवस्थित अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

मुख्य गतिविधियाँ:

- भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र (ITEWC):** — सुनामी, और तूफानी लहरों के बारे में तटीय आबादी के लिए चौबीसों घंटे निगरानी और चेतावनी सेवाएँ प्रदान करता है।
- मछुआरों के लिए दैनिक सलाह:** — प्रचुर मात्रा में मछलियों वाले क्षेत्रों का पता लगाने में सहायता के लिए दैनिक सलाह प्रदान करता है।
- महासागरीय स्थिति पूर्वानुमान:** — लहरों, धाराओं, समुद्री सतह के तापमान आदि पर अल्पकालिक पूर्वानुमान (3-7 दिन) प्रदान करता है।

राजव्यवस्था

4. सुप्रीम कोर्ट को सरोगेट्स के लिए मुआवजे पर विचार क्यों करना चाहिए - इंडियन एक्सप्रेस

संदर्भ >>

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम और सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) अधिनियम, 2021 के लागू होने के बाद से कई चिंताएँ सामने आई हैं। कुछ प्रावधानों को उनकी संवैधानिक वैधता के लिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है।



मुआवज़े से जुड़ी नैतिक दुविधाएं और सरोगेसी की प्रकृति »

- **परोपकारिता मॉडल:** नैतिक औचित्य और आलोचनाएँ
 - **नैतिक औचित्य:** सरोगेसी अधिनियम परोपकारिता को बढ़ावा देता है, सरोगेसी को करुणा के कार्य के रूप में चित्रित करता है। सरोगेसी को लेन-देन नहीं होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गर्भवस्था एक भुगतान सेवा के बजाय एक करुणामय बनी रहे।
 - **आलोचना:** आलोचकों का तर्क है कि जबकि परोपकारी मॉडल का उद्देश्य वस्तुकरण से बचना है, यह सरोगेट के श्रम को अनदेखा करने का जोखिम उठाता है। यह महिलाओं को गर्भवस्था के शारीरिक और भावनात्मक बोझ के लिए उचित मुआवजा प्राप्त करने से भी रोक सकता है।
- **महिलाओं के शरीर और बच्चों की बिक्री का व्यापारिकरण**
 - **नैतिक चिंता:** मुआवज़ा महिलाओं के शरीर को वस्तु बना सकता है, गर्भवस्था को एक व्यावसायिक सेवा में बदल सकता है। इससे महिलाओं के गर्भ को "किराये की कोख" में बदल दिया जा सकता है और मानव प्रजनन के लिए बाज़ार बनाया जा सकता है।
 - **बच्चों की बिक्री:** आलोचकों को डर है कि अगर सरोगेसी व्यावसायिक हो जाती है, तो यह वैध सरोगेसी और बाल तस्करी के बीच की रेखा को धुंधला कर सकती है, जिससे बच्चों को खरीदे और बेचे जाने वाले उत्पाद के रूप में देखा जा सकता है।
- **शोषण और आर्थिक भेद्यता**
 - **शोषण का जोखिम:** व्यावसायिक सरोगेसी के बारे में प्राथमिक चिंता यह है कि इससे गरीब महिलाओं का शोषण होने की संभावना है। वित्तीय मुश्किलें आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को सरोगेसी की ओर धकेल सकती हैं, जिससे सामाजिक असमानताएँ और बढ़ सकती हैं।
 - **अनुपातहीन प्रभाव:** आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को या तो बिचौलियों द्वारा या वित्तीय दबाव के कारण सरोगेसी के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिससे सशक्तिकरण की बजाय उनकी आर्थिक भेद्यता और बढ़ जाती है।
- **स्वायत्तता एवं आत्मनिर्णय का अधिकार**
 - **स्वायत्तता पर बहस:** मुआवज़े पर पूर्ण प्रतिबंध महिलाओं की अपनी प्रजनन क्षमताओं के बारे में स्वायत्त विकल्प बनाने की क्षमता को सीमित करता है। यह धारणा कि महिलाएँ भुगतान के लिए स्वतंत्र रूप से सरोगेसी का चयन नहीं कर सकती हैं, जब तक कि उन्हें मजबूर न किया जाए।
 - **स्व-निर्धारण:** तर्क यह है कि महिलाओं को यह तय करने का अधिकार होना चाहिए कि वे मुआवज़े के लिए सरोगेट बनना चाहती हैं या नहीं, उन्हें अपने शरीर और श्रम के बारे में सूचित निर्णय लेने में सक्षम तर्कसंगत एजेंट के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

मुआवजे पर संसदीय समिति की अनुशंसा »

- **102वीं रिपोर्ट अवलोकन:** 2016 सरोगेसी विधेयक की समीक्षा में राज्य सभा की संसदीय स्थायी समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गर्भावस्था एक महिला के स्वास्थ्य, समय और परिवार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। इसने पाया कि सरोगेसी प्रक्रिया में शामिल अन्य सभी लोग, जैसे कि डॉक्टर, वकील और अस्पताल, भुगतान प्राप्त करते हैं, लेकिन सरोगेट माताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएँ प्रदान करें।
- **मुआवजे के लिए सिफारिश:** समिति ने सिफारिश की कि सरोगेट माताओं को चिकित्सा व्यय और बीमा से परे उचित मुआवजा मिलना चाहिए, शोषण को रोकने की आवश्यकता को संतुलित करते हुए उनके श्रम को स्वीकार करना चाहिए।

कार्यान्वयन की चुनौतियाँ »

- **भूमिगत सरोगेसी बाजार:** परोपकारी सरोगेसी मॉडल में बदलाव के साथ, सरोगेसी व्यवस्था के भूमिगत होने की खबरें सामने आई हैं। अवैध सरोगेसी टैकेट कानूनी ढांचे को दरकिनार करते हुए अनियमित सेटिंग में महिलाओं का शोषण करते हैं।
- **सरोगेट खोजने में कठिनाई:** परोपकारी मॉडल के तहत सरोगेसी चाहने वाले कई जोड़े बिना किसी मुआवजे के सरोगेसी के रूप में काम करने के लिए तैयार महिलाओं को खोजने के लिए संघर्ष करते हैं, जो इस कानूनी ढांचे को लागू करने की व्यावहारिक चुनौती को उजागर करता है।
- **पुनर्विचार की आवश्यकता:** ये चुनौतियाँ बताती हैं कि मुआवजे पर प्रतिबंध का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि वर्तमान ढांचा सरोगेसी की मांग और अनियमित बाजार से जुड़े जोखिमों को संबोधित करने में विफल रहा है।

निष्कर्ष » हालांकि विधायी हस्तक्षेप ने इन महत्वपूर्ण मुद्दों को दरकिनार कर दिया है, लेकिन यह देखना अभी बाकी है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय मुआवजे में निष्पक्षता के प्रश्न को निषेध के पीछे के संकीर्ण तर्क से अलग देखता है।

वैश्विक मामले

5. एलएसी गतिरोध पर चीन के साथ मुद्दे काफी हद तक सुलझे : एस जयशंकर - इंडियन एक्सप्रेस

संदर्भ »

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ सैन्य गतिरोध लगभग 75% सुलझ गया है।

वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) »

● **विवरण:** सीमांकन जो भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र को चीनी-नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है जो भारत और चीन के बीच एक वास्तविक सीमा के रूप में कार्य करता है।

● **लंबाई:** भारत एलएसी को 3,488 किमी लंबा मानता है, जबकि चीनी इसे केवल 2,000 किमी के आसपास मानते हैं।

● 3 सेक्टर:

- **पूर्वी क्षेत्र:** अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला हुआ है
- **मध्य क्षेत्र:** उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश
- **पश्चिमी क्षेत्र:** लद्दाख

● **भारत का दावा:** सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए मानचित्रों पर आधिकारिक सीमा रेखा देखी जा सकती है, जिसमें अकसाई चिन और गिलगित-बाल्टिस्तान दोनों शामिल हैं। इसका मतलब है कि LAC भारत के लिए दावा रेखा नहीं है।

● **चीन का दावा:** पूर्वी क्षेत्र को छोड़कर पूरे अरुणाचल प्रदेश से दक्षिण तिब्बत तक दावा करता है।




अर्थव्यवस्था

6. स्टार्ट-अप इंडिया इन्वेस्ट इंडिया के दायरे से बाहर होगा: गोयल - द हिंदू

संदर्भ >>

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्र की स्टार्ट-अप इंडिया पहल को आधिकारिक निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया के तत्वावधान से हटाकर एक नई गैर-लाभकारी कंपनी को सौंप दिया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकार परिषद भी शामिल हो सकती है।




राष्ट्रीय स्टार्ट-अप सलाहकार परिषद (NSAC) >>

- **गठन:** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा गठित।
- **उद्देश्य:** सरकार को एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर सलाह देना जो सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के लिए नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा दे।
- **संरचना:**
 - **अध्यक्ष:** वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री।
 - **पदेन सदस्य:** संबंधित मंत्रालयों, विभागों या संगठनों से मनोनीत व्यक्ति, जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे के पद पर न हों।
 - **गैर-आधिकारिक सदस्य:** स्टार्टअप संस्थापक और उद्योग जगत के दिग्गज, जो स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- **भूमिका:**
 - स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करने के लिए हस्तक्षेप क्षेत्रों की पहचान करना।
 - स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत राष्ट्रीय कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका पोषण करना।

7. फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार एआई, ड्रोन और डेटा के साथ स्मार्ट खेती में 6,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी - इंडियन एक्सप्रेस

संदर्भ >>

केंद्र सरकार प्रिसिज़न फार्मिंग (परिशुद्ध कृषि) को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़ रुपये निर्धारित करने पर विचार कर रही है। प्रिसिज़न फार्मिंग एक आधुनिक दृष्टिकोण है, जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करते हुए संसाधनों के अधिकतम उपयोग के माध्यम से उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और डेटा एनालिटिक्स जैसी स्मार्ट प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।




8.लेह में प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र (Rural Enterprise Acceleration through Technology (CREATE)) का उद्घाटन - पीआईबी

संदर्भ >>

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री ने हाल ही में वर्चुअल माध्यम से लेह में प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र (CREATE) का उद्घाटन किया।

प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम त्वरण केंद्र >>



पर्यावरण

9. अध्ययन के उद्देश्य से अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में नीलगिरि तहर को रेडियो कॉलर लगाया गया - द हिंदू

संदर्भ >>

मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में अध्ययन के उद्देश्य से रेडियो कॉलर लगाए गए नीलगिरि तहर पर मांसाहारी जानवर द्वारा हमला किए जाने के एक महीने बाद, तमिलनाडु वन विभाग ने एक अन्य नीलगिरि तहर पर ट्रैकिंग डिवाइस लगाई है।



Fig. Tiger Reserves in India

नीलगिरि तहर/ नीलगिरि आईबेक्स/वरेयाडु >>

- **विवरण:** पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व के कारण तमिलनाडु का राज्य पशु।
- **IUCN स्थिति:** संकटग्रस्त
- **भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की स्थिति:** अनुसूची-1
- **वितरण:** समुद्र तल से 300 मीटर से 2,600 मीटर की ऊँचाई पर खड़ी चट्टानों वाले घास के मैदानों में निवास करता है।
- **जनसंख्या:** अनुमानित 3,122 नीलगिरि तहर

अन्नामलाई बाघ अभयारण्य >>

- **विवरण:** तमिलनाडु के पोलाची और कोयंबटूर जिले के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र।
- **अवस्थिति:** दक्षिणी पश्चिमी घाट में पलक्कड़ के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, दक्षिण पश्चिमी तरफ चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान से घिरा हुआ है।
- **वनस्पति:** आर्द्र सदाबहार वन, अर्ध-सदाबहार वन, नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, शुष्क कांटेदार और शोला वन और पर्वतीय घास के मैदान, सवाना और दलदली घास के मैदान भी मौजूद हैं।
- **वनस्पति:** बालसम, क्रोटालारिया, ऑर्किड और कुरिंची, आम, कटहल, जंगली केला, अदरक (जिंजिबर ऑफिसिनेल), हल्दी, काली मिर्च (पाइपर लोंगम), इलायची आदि।
- **जीव:** बाघ, एशियाई हाथी, सांभर, चित्तीदार हिरण, भौंकने वाले भौंकता हिरण, सियार, तेंदुआ, जंगली बिल्ली आदि

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

10. कम लागत वाली मधुमेह की दवा नर बंदरों में बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर सकती है: अध्ययन - इंडियन एक्सप्रेस

संदर्भ >>

एक नए अध्ययन के अनुसार, मधुमेह की सस्ती दवा मेटफॉर्मिन, नर बंदरों में बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा कर देती है, खास तौर पर उनके मस्तिष्क में। इस खोज से यह संभावना बढ़ गई है कि एक दिन इस दवा का इस्तेमाल मनुष्यों में बुढ़ापे की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए किया जा सकता है।

मेटफॉर्मिन >>

- **विवरण:** टाइप 2 मधुमेह के इलाज के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवाओं में से एक और ग्वानिडीन का व्युत्पन्न है, जो यूरोप में लंबे समय से इस्तेमाल की जाने वाली एक हर्बल दवा है।
- **उपयोग:** 1950 के दशक में फ्रांस में इसे पहली बार इस्तेमाल किया गया।
- **अन्य प्रभाव:** मेटफॉर्मिन कैंसर के जोखिम को कम करने और कीड़े, कृंतक और मक्खियों में उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में उपयोगी पाया गया है।

11. प्रेस्बायोपिया के लिए आई ड्रॉप - द हिंदू

संदर्भ >>

समय-समय पर मीडिया में विज्ञापित इलाज के वादे ने वास्तव में ऐसे दावों को रोकने के लिए अलग से नियम "औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम" बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया; पिछले दृष्टि, प्रेसबायोपिया के लिए निर्धारित आई ड्रॉप्स की क्षमता के दावों पर विवाद के कारण, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने एक फार्मा कंपनी को उत्पाद बनाने और बेचने की अनुमति निलंबित कर दी।

विवरण: औषधियों के विज्ञापन को विनियमित करने तथा तथाकथित चमत्कारिक गुणों वाली औषधियों के प्रचार पर रोक लगाने के लिए बनाया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ताओं को झूठे दावों से गुमराह न किया जाए।

"औषधि": मानव या पशु उपयोग के लिए अभिप्रेत दवाओं को संदर्भित करता है और इसमें रोगों के निदान, उपचार और रोकथाम के लिए पदार्थ शामिल हैं, जिसमें शरीर की संरचना या कार्यों को प्रभावित करने वाली कोई भी वस्तु शामिल है।

"चमत्कारिक उपचार": दवाओं से परे, इसमें ताबीज, मंत्र आदि शामिल हैं, जिनके बारे में दावा किया जाता है कि उनमें उपचार या शारीरिक कार्यकलापों को बदलने की चमत्कारी शक्तियाँ हैं और इसमें असाधारण उपचार शक्ति रखने वाली गैर-उपभोज्य वस्तुएँ शामिल हैं।

औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954

औषधि एवं चमत्कारिक उपचार (आपत्तिजनक विज्ञापन) अधिनियम, 1954

पहली बार दोषी पाए जाने पर: उल्लंघनकर्ताओं को छह महीने तक की कैद, जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

अगली बार दोषी पाए जाने पर: एक साल तक की कैद, जुर्माना या कारावास और जुर्माना दोनों का सामना करना पड़ सकता है।

जुर्माने की कोई सीमा नहीं: अधिनियम में जुर्माने की कोई ऊपरी सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, जिससे उल्लंघन के दोषी पाए गए व्यक्तियों या संगठनों पर लगाए गए जुर्माने में लचीलापन आता है।

दंड:

प्रयोज्यता: विज्ञापन प्रकाशित करने में शामिल सभी व्यक्तियों और संस्थाओं पर, जिसमें निर्माता, वितरक, विज्ञापनदाता और दवाओं या उपचारों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार कोई भी अन्य व्यक्ति शामिल है।

निदेशक, प्रबंधक या अधिकारी जैसे व्यवसाय संचालन के प्रभारी व्यक्ति, यदि उनकी कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करती है, तो उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

कंपनी अधिनियम का उल्लंघन: यदि कोई कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करती है, तो नियंत्रण में रहने वाले लोगों को तब तक दोषी माना जा सकता है जब तक कि वे:

अपराध के बारे में जानकारी का अभाव साबित न कर दें।
यह साबित न कर दें कि उन्होंने उल्लंघन को रोकने के लिए उचित कदम उठाए।

कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व: अधिनियम के उल्लंघन के लिए व्यक्तियों और कंपनियों दोनों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है, जिसका अर्थ है कि:

व्यक्तिगत उत्तरदायित्व: निदेशक, प्रबंधक या अधिकारी जो अपराध के लिए सहमति देते हैं या उसकी उपेक्षा करते हैं, उन्हें भी कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप जुर्माना या कारावास सहित दंड हो सकता है।

चमत्कारिक उपचार अधिनियम

विज्ञापनों पर विनियम:

सख्त निषेध: अधिनियम ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगाता है जो दावों और उपचारों के बारे में गुमराह करते हैं, झूठे दावे करते हैं या गलत धारणाएँ पेश करते हैं।

विज्ञापन की व्यापक परिभाषा: "विज्ञापन" शब्द में लिखित, दृश्य और मौखिक रूप शामिल हैं, जिनमें नोटिस, लेबल, रेपर और मौखिक प्रचार शामिल हैं।

उल्लंघन के लिए दंड: स्वास्थ्य उत्पादों और उपचारों के संबंध में धामक और हानिकारक विज्ञापनों से जनता को बचाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने वालों को कारावास या जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।

12. सेल्युलाइटिस रोग - द हिंदू

संदर्भ >>

सेल्युलाइटिस रोग, जो बरसात के मौसम में कुछ लोगों को प्रभावित करता था, अब पूर्ववर्ती करीमनगर जिले में व्यापक रूप से फैल चुका है।

सेल्युलाइटिस रोग >>

- **विवरण:** जीवाणु के कारण होने वाला त्वचा का एक गंभीर संक्रमण जो आमतौर पर शरीर के निचले हिस्से को प्रभावित करता है, जिसमें पैर, पंजे और पैर की उंगलियां शामिल हैं, लेकिन यह किसी भी हिस्से में हो सकता है।
- **रोग कब होता है :** यह तब होता है जब जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस और स्टैफिलोकोकस, त्वचा में किसी दरार के माध्यम से प्रवेश करते हैं।
- **लक्षण:** त्वचा में सूजन और जलन जिसे छूने पर दर्द और गर्मी महसूस होती है; छाले, त्वचा में गह्वे या धब्बे; थकान, ठंड लगना, पसीना, कंपकंपी, बुखार और मतली।
- **संचरण:** यह आमतौर पर संक्रामक नहीं होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के खुले घाव हैं और संक्रमित व्यक्ति से त्वचा का संपर्क होता है, तो सेल्युलाइटिस हो सकता है।
- **उपचार:** एंटीबायोटिक्स द्वारा

